भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 120132

प्रस्तावित ट्रस्ट (न्यास)

ओम् माँ आदि शक्ति संस्कार शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक [illegible] को ग्राम-देवा पो०-दुल्लहपुर, थाना-शादियाबाद, तहसील-जखनियाँ, जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) में **शारदानन्द राय पुत्र विश्वनाथ राय ग्राम-देवा पो०-दुल्लहपुर, थाना-शादियाबाद, तहसील-जखनियाँ, जिला-गाजीपुर (उ०प्र०)** द्वारा घोषित किया गया। जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक के पास 10,000/-(दस हजार रूपये मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुण्यार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा रखते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अपरिवर्तनीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है ताकि समाज कल्याण एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योंकि यह ट्रस्ट **ओम् माँ आदि शक्ति संस्कार शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, [illegible] ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता/संस्थापक ट्रस्टी [illegible] ट्रस्ट का अध्यक्ष/सचिव कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न [illegible] आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष [illegible] ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुसार मात्र 10,000/-(दस हजार मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है, [illegible] इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम-देवा पो०-दुल्लहपुर, थाना-शादियाबाद, तहसील-जखनियाँ जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-देवा पो० दुल्लहपुर, थाना-शादियाबाद, तहसील-जखनियाँ, जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) में रहेगा। [illegible] पड़ने पर इस कार्यालय को आवश्यकतानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। अतः न्यासकर्ता/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार [illegible] घोषित किया जाता है।

शारदानन्द राय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 120133

ओम् माँ आदि शक्ति संस्कार वैदिक
एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट–1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

– उद्देश्य एवं नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. भिन्न भिन्न [illegible] सरकार व राज्य द्वारा मान्यता लिए प्राथमिक पाठशालाएं, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी०जी० कालेज, बी०एड०, बी०टी०सी०, [illegible], पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अस्पतालों, [illegible] अनुसंधान केन्द्रों, धर्मशालाओं, कम्प्यूटर केन्द्रों, सिलाई केन्द्रों, [illegible] केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, [illegible] की स्थापना करना, [illegible] आदि [illegible] तथा [illegible] विभिन्न [illegible] संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध कराना, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकेगा।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. भूमि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं [illegible] रोक [illegible] प्रयास एवं [illegible] करना।
5. [illegible] एवं [illegible] का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य कल्याण हेतु विधि कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु कक्षाओं की व्यवस्था करना।
8. कृषि उद्योग, [illegible] आदि विषयों की शिक्षा तथा उनके विकास हेतु [illegible] करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, [illegible] संस्थान, [illegible] कल्याण, [illegible] ग्रामीण [illegible] एवं औद्योगिक [illegible], समाज कल्याण, [illegible] बोर्ड, महिला कल्याण, [illegible] युवा केन्द्र, [illegible] आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907205

10. [illegible], [illegible], पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग ट्रेनिंग, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] आदि विभिन्न कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11. समाज के लोगों के हेतु हॉस्पिटल, नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, [illegible] स्टोर, [illegible] की दुकान, [illegible] स्टोर, [illegible], सामग्री फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यावसायिक, प्राविधिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, [illegible], [illegible] आर्ट, संगीत, राजनीति, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर [illegible] कराने हेतु उनको अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का लेखन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] सम्मेलन, प्रतियोगिताओं, [illegible], [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] आदि आयोजित कर सकना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, [illegible] [illegible] आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19. [illegible] [illegible] अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य संस्थाओं को यदि [illegible] [illegible] सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सहमत होने पर अपने ट्रस्ट द्वारा समाहित एवं इनको अपने ट्रस्ट में समायोजित करना।

20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

3. [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907206

21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं शिक्षित कर सकना।
24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
25. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित व विक्रय कर सकना।
26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।
28. उपभोक्ता अधिकार–मानवाधिकार, सूचना अधिकार, सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
30. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
32. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
33. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पत्ति में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
34. ट्रस्ट जन सामान्य के हितार्थ कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, धर्मशाला, तालाबों का निर्माण, गऊओं पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।

शरदा नन्दराम

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907207

35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
36. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कल्याण में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
37. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पशु क्लिनिक का निर्माण करना।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। खाद एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
39. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
40. दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
41. धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुँचाना।
42. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
43. संविधान से प्रदत्त मताधिकार एवं उसके नियम क्रिया–कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना।

प्रारम्भिक प्रबन्ध –

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **शारदा नन्द राय** जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव **शारदा नन्द राय** द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जावे तो **शारदा नन्द राय** की मृत्यु के पश्चात उनकी **पत्नी श्रीमती उर्मिला राय** तब तक इस ट्रस्ट की ट्रस्टी रहेगी, जब तक कि **मेरा उत्तराधिकारी बालिग** न हो जावे।

शारदा नन्द राय

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907208

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तराधिकार अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. **किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पदमुक्त करने की शर्तें निम्न हैं–** मृत्यु, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य में संलिप्त पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों से ज्यादा सजा दिये जाने या पागल होने पर, दिवालिया होने पर, त्याग–पत्र देने पर पद मुक्त/निष्कासित किया जा सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव को प्रदान किया गया है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव पद पर आसीन व्यक्ति का वाजिबुल उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव होगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके सुरक्षित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने जीवनकाल के अन्त में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

कृष्णा नन्द राम

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515373

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण मान्य होगा।

9. बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

क्र. सं.	नाम	पता	पद	पेशा
1.	शारदानन्द राय	देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक /सचिव	समाज सेवा
2.	मनोज कुमार शर्मा	जलालपुर, गोंडिया, गाजीपुर	अध्यक्ष ट्रस्टी	समाज सेवा
3.	संजय कुमार राय	देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर	उपाध्यक्ष ट्रस्टी	समाज सेवा
4.	प्रमोद कुमार राय	देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर	उप सचिव ट्रस्टी	समाज सेवा
5.	मधुरा राय	देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	समाज सेवा
6.	श्रीमती किरन	देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	गृहिणी

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की आयु आदि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष ट्रस्टी करेगा।

शारदा नन्द राय

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515374

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का कार्यालय एवं सुविधाएँ :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्य क्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। यह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का विशेषाधिकार :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के कार्य–कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।

अध्यक्ष ट्रस्टी की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के विकास एवं प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515375

2. यह कि अध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाएँ एवं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. अध्यक्ष, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी समय, बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पद के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष ट्रस्टी की नियुक्ति :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के विकास के लिए एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल के लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा जो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगा।

उप सचिव ट्रस्टी की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट की दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल के लिए एक उप सचिव ट्रस्टी अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उप सचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएँ, कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी समय बिना कारण बताए उप सचिव पद पर कार्यरत व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/ अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उनके अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

अध्यक्ष ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. ट्रस्ट की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त गतिविधियों पर दृष्टि रखना एवं उसका निरीक्षण करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AB 290779

3. बैठकों में किसी प्रस्ताव या मामले में मतदान होने पर निर्णय करना परन्तु यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव उक्त निर्णय से असहमत है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

उपाध्यक्ष ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकारों का प्रयोग करना एवं उनकी उपस्थिति में उनके सभी आदेशों का पालन करना।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

क. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना।

ख. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का प्रभावकारी ढंग से देखरेख करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।

ग. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

घ. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

ङ. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

च. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों/संस्थाओं हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति,पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/ अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही करना।

छ. विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोषों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/व्यवस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि के लिए आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।

ज. ट्रस्ट/संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्ति करना।

झ. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AB 290780

ट. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

ठ. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को करना।

उप सचिव ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके द्वारा दिये गये कार्यों/कर्तव्यों का उत्तरदायी ढंग से पालन करना।

बैंक एकाउण्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव स्वयं अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/स्वायत्त इकाई/कार्यालय का पृथक नाम से खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

विधिक कार्यवाही :-

यदि ट्रस्ट/संस्था की तरफ से कोई भी विधिक कार्यवाही की जाती है या ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या पैरवी करने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अविकल अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AB 290781

2. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी विलेख डीड/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है। आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था को भूमि लीज(पट्टा) पर दे सकता है।
5. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी से ऋण, दान, उपहार, अंशदान, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
6. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, चल/अचल सम्पत्ति की [illegible] साझा क्रय अनुबन्ध बन्धक भाड़ेदारी गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

विशेष :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/आयोजित किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड और ट्रस्ट **श्री [illegible] शैक्षिक एवं सामाजिक विकास** ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का निर्णय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 120144

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 59AB 290782

व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/समिति द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।)

ओम माँ आदि शक्ति संस्कार शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सम्मिलित **ओम माँ आदि शक्ति संस्कार शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

Rakesh Kumar Sharma

टंकणकर्ता

राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण

नाम: अनिल कुमार तिवारी

पता: [illegible]

शारदानन्द राय

(संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक)

ओम माँ आदि शक्ति संस्कार शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट

नाम: [illegible]

पता: [illegible]

दिनांक:

मसविदाकर्ता

[illegible]

14

... 1110. ... /2012

दाखिल

... आलोक कुमार ...

आलोक कुमार तिवारी ...

... 6/

स्टाम्प शुल्क = 100000/

... शुल्क ...

200/- 50/- ... 3000/-

श्री ... आनंद ... राम ... श्री ... राम

... देवी ... [illegible]

30-11-12

हस्ता - ...

[illegible]

30-11-12

... राम ...

... आलोक कुमार तिवारी

...

...

नोट: ... किया।

हस्ता - ...

आलोक कुमार तिवारी

30-11-12

...

30-11-12

गाजीपुर
उत्तर प्रदेश

99

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

तिवारी
...मार्ग
...गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

जखनियाँ ... गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

[illegible] तिवारी

[illegible] 31 मार्च [illegible]

[illegible]

तिवारी

उत्तर प्रदेश

क्र० [illegible] मूल्य २० [illegible] ता. [illegible]

[illegible] के

[illegible]

सहायक [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

सहायक [illegible] गाजीपुर

[illegible] गाजीपुर [illegible]

कुमार तिवारी

तहसील परिसर-जखनियाँ-गाजीपुर

अनिल कुमार तिवारी

उत्तर प्रदेश

तिथि डी रा... [illegible] ...मास... [illegible] ...सन [illegible]

लेख्य तैयार करने का प्रयोजन... [illegible]

लेखक का नाम व पता... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जखनिया ... गाजीपुर ... उत्तर प्रदेश

[illegible]

आज दिनांक 30.11.12 [illegible]

[illegible] 13 [illegible] 16 [illegible]

23/50 [illegible] 86

[illegible]

[illegible]